



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं. : 0141-2227884
ई-मेल : rajpr.sep@rajasthan.gov.in, rajpr.xentc@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 (415) पंरावि / FFC & SFC-V / 2016-17 / 885

जयपुर, दिनांक : 17/11/2017

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद-समस्त।

विषय :- एफएफसी एवं एसएफसी-पंचम योजनान्तर्गत चारदीवारी निर्माण बाबत।

महोदय,

14वां वित्त आयोग-पंचम के दिशा-निर्देश क्रमांक 1990-22 दिनांक 29.11.2016 में पार्को, खेल मैदानो, तथा श्मशानो / कब्रिस्तानो के रखरखाव का कार्य अनुमत है। राज्य वित्त आयोग-पंचम के दिशा-निर्देश क्रमांक 19793-95 दिनांक 22.01.2016 में श्मशानो / कब्रिस्तानो का रखरखाव, ग्राम पंचायत / पंचायत समिति भवनो के रख-रखाव का प्रावधान है।

इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि योजना के प्रावधानो के अनुसार अनुमत कार्यों में रखरखाव में इनकी चारदीवारी का निर्माण भी सुरक्षा की दृष्टि से कराया जा सकेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.पं.राज, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, ग्रा.वि.पं.राज, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार, (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र, लेखा परीक्षा), राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निदेशक, स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (ईएडी) विभाग जयपुर।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-5) विभाग, जयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार, पंचायती राज, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
10. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
11. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, पंचायती राज को विभगीय वेब साईट पर अपलोड करने है।

अधीक्षण अभियन्ता